कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा / माध्य / स्थिरी–अ / 34851 / 2018 दिनांकः 09.07.2018

शासन उप सचिव,
शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

विषयः–संशोधित पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में राज्य सरकार द्वारा समय –समय पर जारी दिशा निर्देशों के विरूद्ध अनियमित वेतन स्थिरीकरण के प्रकरणों में हुए अधिक भुगतान की वसूली के सम्बन्ध में दिशा निर्देश प्रदान करने बाबत ।

प्रसंग :–इस कार्यालय का पत्रांक दिनांक 25.06.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के नियम–22 के अनुसार राजकीय सेवा में पूर्व से नियमित कार्यरत कार्मिक की सीधी भर्ती से अन्य पद पर नियुक्ति होने पर उसके द्वारा पूर्व पद के वेतन का विकल्प देने की स्थिति में परीवीक्षा काल संतोषप्रद पूर्ण करने पर उसे पूर्व पद के रनिंग पे–बैण्ड व ग्रेड–पे के संदर्भ में नये पद पर समान स्तर पर वेतन स्थिरीकरण करने का प्रावधान है। वित्त विभाग कीटिप्पणी दिनांक 23.03.18 के अनुसार उच्च पद पर नई नियुक्ति होने की स्थिति में परीवीक्षाकाल अवधि में पूर्व पद का विकल्प देने पर कार्मिक का 02 वर्ष का परीवीक्षाकाल संतोषप्रद पूर्ण होने पर (उच्च पद की ग्रेड–पे - पूर्व पद की ग्रेड–पे) ग्रेड–पे की अन्तर राशि भी पूर्व पद के वेतन के साथ दी जाकर वेतन स्थिरीकरण किया जाने का प्रावधान है ।

संशोधित पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अधिसूचना क्रमांक एफ.14(1) एफडी(रूल्स) / 2013 –I दिनांक 06.04.13 के नियम 28 के अनुसार यदि आगामी समय में रनिंग पे बैण्ड और ग्रेड पे में परिवर्तन होने पर उस पद का संशोधित रनिंग पे–बैण्ड का न्यूनतम + ग्रेड पे का प्रावधान है ।

पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के नियम–21 के तहत सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिक जिन्होंने फिक्स वेतन का विकल्प दिया है, उन्हें ही 02 वर्ष का परीवीक्षाकाल संतोषप्रद पूर्ण करनें पर नियम 22 के तहत अनुसूची–5 के अनुसार वेतन देय है । आगामी वेतन वृद्धि 06 माह पूर्ण होने के बाद आने वाली 01 जुलाई को देय होगी ।

पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहे कार्मिकों की पदोन्नति होने पर नियम–24 के तहत रनिंग पे बैण्ड में विद्यमान मूल वेतन की 3 प्रतिशत की वेतनवृद्धि तथा ग्रेड पे

www.rajteachers.com

....2....

का अन्तर देय है । यदि पदोन्नति के फलस्वरूप यदि रनिंग पे–बैण्ड परिवर्तित होने के कारण उक्त वृद्धि किये जाने पर भी पदोन्नति पद की रनिंग पे बैण्ड के न्यूनतम से कम वेतन होने पर पदोन्नति पद के रनिंग पे–बैण्ड के न्यूनतम पर वेतन निर्धारणकरने एवं पदोन्नति पद की ग्रेड पे दिये जाने का प्रावधान है । पदोन्नति पर उक्त प्रावधान के अनुसार वेतन निर्धारण करने के स्थान पर उक्त नियमों की अनुसूची–5 में सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारी के द्वारा प्रोबेशन ट्रेनी अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर देय प्रारम्भिक वेतन पर वेतन निर्धारण किया जाना नियमानुसार वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प. 12(6)वित्त / नियम / 2005 पार्ट–II दिनांक 22.05.17 अनुसार देय नहीं है ।

प्रत्येक पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन स्थिरीकरण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का गलत वेतन स्थिरीकरण होने के कारण अधिक भुगतान होने पर अधिक भुगतान की वसूली के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिक से अन्डरटेंकिग ली जाकर ही वेतन स्थिरीकरण किया जाता है । वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.12 (6) वित्त / नियम–2005–II दिनांक 22.05.2017 के अनुसार वेतन निर्धारण त्रूटिपूर्ण होने पर अविलम्ब वेतन निर्धारण को संशोधित किये जाने के निर्देश दिये गये थे ताकि कर्मचारी को गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान न हो ।

अतः इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा / माध्य / स्थिरी–अ / 34851 / 2018 दिनांक 25.06.18 द्वारा समस्त उप निदेशक व जिला शिक्षा अधिकारियों को राज्य सरकार के समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के विरूद्ध वेतन आहरित होने के प्रकरणों में वेतन स्थिरीकरण संशोधित कर नियमानुसार अधिक भुगतान की वसूली करने के आदेश जारी किये गये थे । वेतन स्थिरीकरण संशोधन के अभाव में आगामी पुनरीक्षित वेतनमान 2017 व आगामी वेतन वृद्धियां भी सही नहीं होगी ।

जिला शिक्षा अधिकारी, अजमेर एवं अन्य जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा पूर्व में निम्न पद पर कार्यरत कार्मिकों का सीधी भर्ती से उच्च पद (द्वितीय श्रेणी अध्यापक / व्याख्याता) पद पर चयन होने के कारण कार्मिक का पूर्व पद के वेतन का वेतन विकल्प देने पर अनुसूची–5 के अनुसार न्यूनतम वेतन स्थिरीकरण के सम्बन्ध में निर्देश मांगे गये थे । अतः इस कार्यालय के पत्र दिनांक 25.06.2018 के द्वारा वेतन स्थिरीकरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशो के अनुसार गलत वेतन स्थिरीकरण को संशोधित कर अधिक भुगतान की नियमानुसार वसूली करनें के आदेश समस्त उपनिदेशको एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किये गये लेकिन राजस्थान शिक्षा, प्राध्यापक संघ (रेसला) ने अपने पत्रांक 894 दिनांक 03.07.18 के द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक दिनांक 25.06.2018 के संदर्भ में पत्र देकर अवगत कराया है कि "राज्य सरकार के कार्मिको को पूर्व सेवा में परीवीक्षाकाल पूर्ण करने के उपरान्त अन्य उच्च सेवा में चयन होने पर (यथा व्याख्याता स्कूल शिक्षा) फिक्स वेतन अथवा विद्यमान वेतन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता थी । कार्मिक द्वारा सीधी भर्ती में परीवीक्षाकाल पूर्ण

....3....

www.rajteachers.com

कर लेने पर इससे व्याख्याता पद का न्यूनतम वेतन 18750/– रूपये अथवा अधिक होने पर अधिक जो भी नियमानुसार है दिया जाता है ।"

अर्थात् शिक्षक संघों द्वारा इस प्रकार के मामलों में राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों के विरूद्ध केवल अनुसूची–5 को ही न्यूनतम वेतन मानकर वेतन निर्धारण की मांग की जा रही है ।

अतः इस कार्यालय के पत्र दिनांक 25.06.2018 के द्वारा अनियमित वेतन स्थिरीकरण के मामलो में (अनुसूची–5 के अनुसार न्यूनतम वेतन पर स्थिरीकरण) वेतन स्थिरीकरण संशोधित किया जाकर अधिक भुगतान की वसूली करने या नहीं करने के सम्बन्ध में उचित दिशा निर्देश प्रदान करावें ।

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

दिनांकः–09.07.18

क्रमांकः–शिविरा/माध्य/स्थिरी–अ/34851

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1.समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक को भेजकर लेख है कि इस कार्यालय के आदेश दिनांक 25.06.2018 के संदर्भ में अधिक/अनियमित भुगतान की वसूली के सम्बन्ध में राज्य सरकार से निर्देश मांगे जा रहे है । अतः राज्य सरकार के दिशा निर्देश प्राप्त होने पर ही वसूली के सम्बन्ध में आगामी कार्यवाही की जावे ।

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com